रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 1983/भाद्र 1, 1905
No. 363] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 1983/BHADRA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1983

का. आ. 605(अ) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1 इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) सोलहवां संशोधन आदेश, 1983 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में,—

(1) भाग "ख", अनुसूची-1 में, क्रम सं. (4) (क) और (ख) के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

'24(4)—गेहूं और धान के बीजों सहित सभी प्रकार के खाद्यान्न बीज ।"

(2) खुले सामान्य लाइसेंस-3 में, अनुसूची-3 में, क्रम सं. 19 के सामने दर्शाई गई निम्नलिखित प्रविष्टि को हटाया जाएगा :—

"गेहूं के बीजों को छोड़ कर खाद्यान्न बीज ।"

[मि. सं. 40(31)/83-ई. 2/सं. ई(सी)ओ. 1977/ए एम(269)]

पी. सी. जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL
ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1983

S.O. 605(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixteenth Amendment Order, 1983.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(i) In Part 'B' Schedule I, the existing entries appearing against S. No. 24(iv)(a) and (b) shall be substituted by the following :—

"24(iv)—Foodgrains seeds of all varieties, including Wheat and Paddy Seeds".

(ii) In OGL-3, in Schedule III, the following entry appearing against S. No. 19 shall be deleted :—

"Foodgrain seeds excluding wheat seeds".

[File No. 40(31)/83-EII/No. E(C)O. 1977/AM(269)]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983